कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

श्रीमती हेमलता राजपूत, व्याख्याता (हिन्दी), राउमावि, आलूदा, दौसा ने स्थानान्तरण हेतु माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या–6992/2020 हेमलता राजपूत बनाम निदेशक दायर की है। उक्त याचिका में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक–11.09.2020 में याचिकार्थी को सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रस्तुत अभ्यावेदन को तीन माह में नियमानुसार निस्तारण करने के निर्देश प्रदान किये है।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में याचिकार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के पति शारीरिक रूप से विकलांग एवं राजकीय सेवा में जयपुर में ही कार्यरत होने एवं माननीय न्यायालय आयुक्त विशेष योग्यजन द्वारा विकलांग की पत्नी का स्थानान्तरण राबाउमावि, झोटवाडा पुलिया के नीचे झोटवाडा जयपुर में हिन्दी व्याख्याता के पद पर करने तथा प्रार्थिया वर्तमान में गर्भवती होने एवं 1 वर्ष 6 माह की पुत्री है, वर्तमान कार्यरत स्थान राउमावि, आलूदा घर से 100 किमी. दूर होने के कारण आवागमन में परेशानी उत्पन्न होने के कारण विकलांग पति का ध्यान नहीं रख पाने के आधार पर अपना पदस्थापन 1–राबाउमावि, झोटवाडा पुलिया के नीचे, झोटवाडा, जयपुर, 2–राबाउमावि, कल्याण कुन्ज, झोटवाडा, जयपुर, 3–महा.गांधी रा.वि. नवीन विद्याधर नगर, झोटवाडा, जयपुर, 4–श्रीमती कमला देवी बूधिया राउमावि, हीरापुरा, जयपुर के विद्यालयों में व्याख्याता–हिन्दी के रिक्त पद पर करने हेतु परिवेदना प्रस्तुत की है।

माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों का परीक्षण व मनन किया। याचिकार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में किसी भी राउमावि/राबाउमावि में पदस्थापन/स्थानांतरण किया जा सकता है। याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन में प्रस्तुत राजकीय विद्यालयों में व्याख्याता–हिन्दी के पद पर अन्य कार्मिक कार्यरत होने के कारण पद रिक्त नहीं है। यह विधि सुस्थापित सिद्वांत है कि किसी लोकसेवक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन/स्थानांतरण की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती, अपितु उपलब्ध मानव संसाधन का प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार उपयोग करना नियोक्ता के विवेकाधीन है। उपर्युक्त परिस्थितियों को मददेनजर रखते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा याचिकार्थी के किये गये पदस्थापन में सेवा नियमों का उल्लंघन नहीं पाया गया। उक्त आधार पर याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन में प्रस्तुत वांछित स्थान पर पदस्थापन हेतु की गई मांग नियमानुकूल तर्कसंगत नहीं होने के कारण खारिज योग्य पाए जाने के आधार पर एतदद्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–7/हिन्दी/स्था.को.के./हेमलताराजपूत/6992/2021/115 दिनांक– 8-2-2021

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, दौसा
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु
8. संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक/रक्षित पंजिका

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर